

हेट क्राइम और पक्षपातपूर्ण घटनाएँ

हेट क्राइम क्या है?

वॉशिंगटन में, हेट क्राइम (नफरती हिंसा) उस अपराध को कहा जाता है जिसमें किसी व्यक्ति की जाति, रंग, धर्म, वंश, राष्ट्रीयता, लिंग, लैंगिक रुद्धिमत्ता, लैंगिक अभिव्यक्ति या पहचान या मानसिक, शारीरिक अथवा संवेदी विकलांगता के कारण जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से हमला करना, संपत्ति को नुकसान पहुँचाना या हमले अथवा संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की धमकी देना शामिल होता है।

वॉशिंगटन में, हेट क्राइम को एक गंभीर अपराध माना जाता है, जिसके लिए अधिकतम पाँच साल की जेल और/या \$100,000 तक का जुर्माना हो सकता है। हेट क्राइम का शिकार व्यक्ति अपराधी के खिलाफ दीवानी मुकदमा भी दायर कर सकता है, जिसमें वह वास्तविक क्षति, अधिकतम \$100,000 तक का दंडात्मक हर्जाना और मुकदमा दायर करने में आए वकील की उचित फीस और अन्य खर्चों की मांग कर सकता है ([Revised Code of Washington \(RCW, वाशिंगटन की संशोधित संहिता\) 9A.36.080](#))।

पक्षपातपूर्ण घटना क्या है?

वॉशिंगटन में, पक्षपातपूर्ण घटना वह शत्रुतापूर्ण अभिव्यक्ति होती है जो किसी अन्य व्यक्ति के प्रति उसकी वास्तविक या अनुमानित जाति, रंग, पंथ, धर्म, वंश, राष्ट्रीयता, नागरिकता या आप्रवासन स्थिति, लिंग, सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त हुए पूर्व-सैनिक या किसी की सैन्य स्थिति, लैंगिक रुद्धिमत्ता, लैंगिक रुद्धिमत्ता या किसी संवेदी, मानसिक या शारीरिक विकलांगता अथवा विकलांग व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षित गाइड कुत्ता या एक जानवर जो सेवा करता है के इस्तेमाल के आधार पर की जाती है ([RCW 43.10.305\(5\)\(a\)](#))। इस सूची में वे सभी विशेषताएँ शामिल हैं जो वॉशिंगटन राज्य के नफरत का अपराध कानून के तहत आती हैं, साथ ही वे संरक्षित वर्ग भी शामिल हैं जो (Washington Law Against Discrimination) वॉशिंगटन का भेदभाव विरोधी कानून के अंतर्गत आते हैं ([RCW 49.60.030\(1\)](#))।

“शत्रुतापूर्ण द्वेष की अभिव्यक्ति” का अर्थ है नफरत या पक्षपात की भावना को अशिष्ट, असौहार्दपूर्ण या आक्रामक तरीके से व्यक्त करना। पक्षपातपूर्ण घटना वह घटना होती है जो कानूनी रूप से अपराध या आपराधिक कृत्य की श्रेणी में नहीं आती। पक्षपातपूर्ण घटनाओं के उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- किसी व्यक्ति की मानी गई विशेषताओं या संरक्षित वर्ग के आधार पर उसके प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना।
- किसी व्यक्ति की मानी गई विशेषताओं या संरक्षित वर्ग के आधार पर जातिवादी या अपमानजनक तस्वीर या चित्र बनाना।
- किसी विकलांग व्यक्ति या किसी की सांस्कृतिक परंपराओं या प्रथाओं का मजाक उड़ाना।

हेट क्राइम और पक्षपातपूर्ण घटनाओं के लिए हॉटलाइन

Attorney General's Office (AGO, वॉशिंगटन अटॉर्नी जनरल कार्यालय) को [Senate Bill \(SB, सीनेट बिल\) 5427 \(2024\)](#) के तहत एक Hate Crimes & Bias Incidents Hotline (घृणा अपराध और पक्षपातपूर्ण घटनाओं की हॉटलाइन) स्थापित करने का निर्देश दिया गया था। यह विधेयक वर्ष 2024 में विधानमंडल द्वारा पारित किया गया और इसे [RCW 43.10.305](#) के अंतर्गत कानून में सम्मिलित किया गया। इस हॉटलाइन को कॉल करने वाले व्यक्तियों को उनकी जरूरतों के अनुरूप, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और ट्रॉमा की समझ रखने वाली स्थानीय सेवाओं के बारे में जानकारी और रेफरल प्रदान करना होगा और जहाँ तक संभव हो सके यह अनेक भाषाओं में सुलभ होनी चाहिए। यह हॉटलाइन 1 जुलाई, 2025 से क्लार्क, किंग और स्पोकेन काउंटीयों में उपलब्ध होगी और 1 जनवरी, 2027 से यह पूरे वॉशिंगटन राज्य में उपलब्ध कराई जाएगी। यह हॉटलाइन आपातकालीन नंबर नहीं है और अगर कॉल करने वाला व्यक्ति आपात स्थिति सूचना देता है, तो उसे 911 पर कॉल करने के लिए कहा जाएगा।

जो भी व्यक्ति नफरत या पक्षपात का शिकार हुआ है, वह इस हॉटलाइन पर कॉल करके घटना की रिपोर्ट कर सकता है और सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है, चाहे उसकी प्रवासन स्थिति जो भी हो। दुभाषिया सेवाएँ उपलब्ध होंगी। यह हॉटलाइन जिन सेवा प्रदाताओं के पास कॉल करने वाले लोगों को रेफर करेगी, वे विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करेंगे, जिनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ, कानूनी सहायता, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त समर्थन और पीड़ितों के लिए सहायता व पैरवी शामिल हैं।

हॉटलाइन को दी गई पहचान संबंधी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखी जाती है और इसे सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया जाएगा। इस जानकारी नाम, पूर्व कानूनी नाम, उपनाम, माता का पहला नाम, जन्म की तारीख या स्थान, निवास स्थान, डाक पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल पता, सामाजिक सुरक्षा नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, बैंक खाते का नंबर और अन्य पहचान से जुड़ी जानकारी में शामिल हैं ([RCW 43.10.305\(5\)\(g\)](#))।

कानून के अनुसार, हॉटलाइन को यह पूछना होगा कि क्या कॉल करने वाले व्यक्ति ने घटना की सूचना कानून प्रवर्तन एजेंसी को दी है और क्या वह ऐसा करना चाहते हैं। हॉटलाइन केवल तभी कानून प्रवर्तन एजेंसी को रेफर करेगी जब कॉल करने वाला व्यक्ति इसकी अनुमति देगा और केवल उनकी इच्छित पहचान संबंधी जानकारी साझा करेगी। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नफरत या पक्षपात की घटना की रिपोर्ट करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हॉटलाइन की संपर्क जानकारी प्रदान करनी होगी।